संख्या- 10/ 2015/जी0आई0-01 /अड़तीस-9-2015-08(एल0सी0)/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
महोबा/महराजगंज/बलिया।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 24 मार्च, 2015**

विषय- विधान सभा क्षेत्रों का उप निर्वाचन-2015 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-196/सी0ई0ओ-2-90/2-2015: लखनऊ, दिनांक-10 मार्च, 2015 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप-चुनाव 2015 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है, जिससे आदर्श आचार संहिता दिनांक-10.03.2015 से ही प्रभावी हो गयी है। अत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सांसद निधि/विधायक निधि/ स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि (फण्ड) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही निर्वाचन आयोग के संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार ही की जायेगी।

2- अत: अनुरोध है कि कृपया भारत निर्वाचन आयोग के संलग्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या-10/2015/जी0आई0-1 (1) / अड़तीस -9-2015, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/पंचायती राज विभाग/समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
4- ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in